FROM No.III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अदालत सहायक कलक्टर (SDO) बायतु .... मुकाम ....

सताराम .... बनाम .... मलाराम वगैरा

किस्म मुकदमा राजस्व 111,128 RTRA .... नं. 155 .... सन 2020

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
8/7/2020	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री खेताराम जाखड़ ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111,128 RTRA राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 10/8/2020 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
10/08/2020	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील बिना तामील अप्राप्त। श्रीमान पीठासीन अधिकारी अवकाश पर पधारे हुए हैं अतः मिसल इन्तजार होकर आगामी दिनांक 16/09/2020 को पेश हो। [signature]	
16/09/2020	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील बिना तामील अप्राप्त। इन्तजार होकर पत्रावली दिनांक 28/10/2020 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
28/10/2020	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील बिना तामील अप्राप्त। इन्तजार होकर पत्रावली दिनांक 04/11/2020 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 15:52:02 IST
Reason: SelfAttested

क्रमांक/वाद/2020/
प्रार्थीगण

04/11/2020

प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगणों के नोटिस तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षीगण बावजूद तामील अनुपस्थित जिनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया कि प्रार्थी व विपक्षीगणों की खातेदारी भूमि पास-पास व सेढा-सेढा आई हुई है। प्रार्थी व विपक्षीगणों के खेतों के मध्य जो पुरानी मेडें व डोलें आये हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गये है जिससे प्रार्थी को अपने सेढो का सही ज्ञान नहीं हो पा रहा है। जिस कारण खेत के सेढो को लेकर प्रार्थी व विपक्षीगणों के मध्य हमेशा तनाजा बना रहता है। प्रार्थी को अपने खेत के सेढो का सही ज्ञान करने हेतु पत्थरबन्दी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी का पत्थरबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरबन्दी आदेश किया जावें।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का पत्थरबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमिश्नर व सम्बन्धित भू० अभिलेख निरीक्षक को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या सहायक कमिश्नर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की पत्थरबन्दी मौके पर कमिश्नर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)
सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 15:52:02 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,बायतु

क्रमांक / वाद / 2020 / 933 दिनांक:– 5/11/2020

प्रार्थीगण बनाम विप्रार्थीगण

1.सताराम पुत्र पेमाराम निवासी सगरमोणी सारणों की ढाणी छीतर का पार तहसील बायतु बाड़मेर

1. भलाराम पुत्र वागाराम निवासी सगरमोणीसारणों की ढाणी छीतर का पार तहसील बायतु बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या/55/2020

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा छीतर का पार पटवार हल्का छीतर का पार तहसील बायतु जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 492, 696/265 रकबा 5.6145, 2.5807 हैक्टर व मौजा सगरमोणी सारणों की ढाणी पटवार हल्का छीतर का पार के खेत खसरा नम्बर 499, 500 रकबा 0.0647, 7.4509 हैक्टयर की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने मे राजस्व पटवारी विफल रहे एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है खातेदार को अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है वह तहसीलदार बायतु को कमीशनर व संबंधित भू अभिलेख निरिक्षक को सहायक कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है। कि कमीशनर स्वंय या सहायक कमीशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनर शुल्क रूपये 500 जमा करा कर करें एवं पालना रिपोर्ट पेश करें। तथा अपेक्षित होने पर संबंधित थाना अधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक / वाद / 2020 / 934-38 दिनांक:– 5/11/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी छीतर का पार को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री सताराम वगैरा
4. विप्रार्थीगण भलाराम वगैरा
5. थानाधिकारी , पुलिस थाना , गिडा/बायतु/नागाणा।

-sd-

उपखण्ड अधिकारी बायतु

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 15:52:02 IST
Reason: SelfAttested